


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 291 /2024 दिनांक :12.12.2024

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./280/2024 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ01048) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली को दिनांक 16.12.2024 से 21.12.2024 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 14.12.2024 से 15.12.2024 एवं 22.12.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/36/2016/10332

दिनांक :12.12.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 4989 दिनांक 02.12.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ01048) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा), पाली।


सहायक रजिस्ट्रार